रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

REGISTERED NO. DL-33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1998/फाल्गुन 16, 1919
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1998/ PHALGUNA 16, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है

भाग II—खण्ड IV
II— Section IV

रक्षा [illegible] री किए संविधिक नियम और आदेश
Statutory Ru[illegible]ders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1998

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 13 के उप नियम (3) में, ('अतकनीकी पद') शब्दों के स्थान पर ('तकनीकी पद') शब्द रखे जायेंगे।

[सं. डी.आर.डी.ओ./76205/एम.पी.डी./403/डी.(आर और डी)]

एन.सी.एस. नेगी, अवर सचिव

पाद-टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। का.नि.आ. 307 दिनांक 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 दिनांक 2 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 दिनांक 6 मई, 1983, का.नि.आ. 176 दिनांक 7 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228 दिनांक 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170 दिनांक 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 दिनांक 2 अगस्त 1985, का.नि.आ. 228 दिनांक 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158 दिनांक 4 मई 1987, का.नि.आ. 328 दिनांक 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-ई दिनांक 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 दिनांक 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 दिनांक 17 जनवरी 1991, का.नि.आ. 74 दिनांक 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 दिनांक 4 जुलाई 1991, का.नि.आ. 74 दिनांक 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 दिनांक 29 मई 1992, का.नि.आ. 157 दिनांक 26 अगस्त 1994 और का.नि.आ. 34 दिनांक 8 मार्च 1996 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 2nd February, 1998

S.R.O. 33.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Con-

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

stitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development service (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in sub-rule (3) of rule 13, for the words 'non-technical posts' the words 'technical posts' shall be substituted.

[No. DRDO|76205|MPD|403|D(R&D)]
N.C.S. NEGI, Under Secy.

Foot Note:—The Defence Research and Development Service Rules 1979 published in the Gazette of India part II, Section 4 vide SRO 8 dated 30th December, 1978, have been further amended vide 307 dated 10th October, 1980, SRO 196 dated 2nd August, 1982, SRO 159 dated 6th May, 1983, SRO 176, dated 7th August, 1984, SRO 228 dated 13 the Nov. 1984, SRO 170 dated 12th July, 1985, SRO 186, dated 2nd August, 1985, SRO 228 dated 6th June, 1986, SRO 158 dated 4th May, 1987, SRO 328 dated 25th September, 1987, SRO 11-E dated 10th August 1990, SRO 1 dated 4th January, 1991, SRO 33 dated 17th January, 1991, SRO 74 dated 5th March, 1991, SRO 146 dated 4th July, 1991, SRO 74 dated 24th March, 1992, SRO 125 dated 29th May, 1992, SRO 157 dated 26th August, 1994 and SRO 34 dated 8th March, 1996.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1998

का. नि. आ. 34.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा ले. कर्नल एस. एन. वाम्बुरकर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, किरकी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/33/किरकी/सी/डीई/92/236/98/डी (क्यूएंडसी)]
डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 1998

S.R.O. 34.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Kirkee by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the resignation of Lt. Col. S. N. Wamburkar.

[F. No. 19|33|Kirkee|C|DE|92|236|98|D(Q&C)]
D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1996

का. नि. आ. 35.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार [illegible] अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, किरकी में [illegible] धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में [illegible] प्रयोग करते हुए कर्नल विलास देवगिरीकर को [illegible] किरकी का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन [illegible] एस. एन. वाम्बुरकर के स्थान पर किया [illegible] है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/33/किरकी/सी/डीई/92/236/98/डी (क्यूएंडसी)]
डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 1998

S.R.O. 35.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. Vilas Deogirkar has been nominated as a member of the Cantonment Board, Kirkee by the Station Commander, Kirkee in exercise of the powers conferred under clause (c) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. S. N. Wamburkar whose resignation has been accepted.

[F. No. 19|33|Kirkee|C|DE|92|236|98|D(Q&C)]
D. R. MEHRA, Under Secy.

Attested

[signature] 4/2/07

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54